संख्या-8/2020/जी-2- 51 /दस-2020-1/2016

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 2020**

विषय- एक राजकीय सेवा से दूसरी राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मियों का वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1/2016/जी-2-89/दस-2016-1/2016, दिनांक 31 मई, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एक राजकीय सेवा से दूसरे राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मियों के वेतन निर्धारण के संबंध में अपेक्षित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को स्पष्ट करते हुये वेतन समिति उ0प्र0 **(**2008**)** की संस्तुतियों के अनुसार लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के सन्दर्भ में वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत किये गये हैं।

2- शासन स्तर पर उपर्युक्त से संबंधित ऐसे प्रकरण भी संदर्भित हुये हैं जहां एक सेवा से दूसरी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की अवधि में वेतन समिति उ0प्र0 **(**1997**)** की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01-01-1996 से 31-12-2005 तक की पुनरीक्षित वेतनमानों की संरचना लागू थी और जिनके संदर्भ में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

3- उक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित समस्या के निराकरण हेतु वेतन समिति उ0प्र0 **(**1997**)** के प्रतिवेदनों के क्रम में लागू पुनरीक्षित वेतनमानों **(**दिनांक 01-01-1996 से 31-12-2005 तक**)** की वेतन संरचना में एक राजकीय सेवा से दूसरी राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मियों, जो उक्त प्रस्तर-1 मे उल्लिखित शासनादेश दिनांक 31-5-2016 के शर्तों एवं स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्व की सेवा के वेतन के आधार पर नयी सेवा के पद पर वेतन निर्धारण की पात्रता रखते हैं, के वेतन निर्धारण हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-

(I) यदि किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति ऐसे नये पद पर होती है जो पूर्व पद की अपेक्षा उच्च वेतनमान वाला है तो उसका प्रारम्भिक वेतन नये पद के वेतनमान में अपने पूर्व पद पर प्राप्त मूल वेतन के तुरन्त ऊपर के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(II) यदि किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति समान वेतनमान वाले पद पर होती है तो नये पद पर उसका मूल वेतन वही रहेगा जो उसे अपने पूर्व पद पर मौलिक रूप से प्राप्त हो रहा था।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(III) यदि किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति किसी निम्न वेतनमान वाले पद पर होती है तब उसका प्रारम्भिक वेतन नये पद के वेतनमान के उस प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा जो उसके पूर्व के पद पर मौलिक रूप से प्राप्त वेतन के बराबर हो। परन्तु यदि नये पद के वेतनमान में ऐसा कोई प्रक्रम उपलब्ध न हो तो उसका वेतन नये पद के वेतनमान में पूर्व पद पर प्राप्त मौलिक वेतन के ठीक नीचे के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा और अन्तर की धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में प्रदान की जायेगी जो अगली वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियों में समायोजित की जायेगी, किन्तु यदि उसके नये पद के वेतनमान की अधिकतम उसके पूर्व पद पर प्राप्त मौलिक वेतन से कम है तो उसका वेतन नये पद के वेतनमान के अधिकतम पर ही निर्धारित किया जायेगा।

4- उपरोक्त प्रस्तर-3 में वर्णित प्रक्रियानुसार वेतन निर्धारण, शासनादेश संख्या-1/2016/जी-2-89/दस-2016-1/2016, दिनांक 31 मई, 2016 में निर्धारित अन्य शर्तों के पूरा होने की स्थिति में ही किया जायेगा तथा जिस तिथि को वेतन निर्धारित किया जायेगा उससे एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने के उपरान्त अगली वेतनवृद्धि देय होगी।

5- सम्बन्धित सरकारी सेवक यदि पूर्व पद के संदर्भ में समयमान-वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान अथवा सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) के लाभ के फलस्वरूप वेतन प्राप्त कर रहा है तो उसके वेतन निर्धारण का प्रकरण इस शासनादेश से आच्छादित नहीं होगा तथा ऐसे प्रकरणों हेतु पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश ।
7- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in